

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

राष्ट्रीय लोक अदालत

निगरानी ई.ए. 2006/5232 उदयपुर
मोतीराम vs रतनलाल

लोक अदालत पीठ
श्री राजेश कुमार दड़िया, सदस्य
श्री मदनलाल नेहरा, सदस्य

आदेश

दिनांक: 14-03-2026

पत्रावली आज दिनांक 14-03-2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत के समक्ष प्रस्तुत हुई। पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट हुआ है कि हस्तगत प्रकरण में मूल वाद का निस्तारण अंतिम रूप से हो चुका है। उपरोक्त तथ्य के प्रकटीकरण की रोशनी में हस्तगत निगरानी याचिका स्वतः सारहीन/निष्प्रभावी होने से खारिज किए जाने योग्य है।

परिणामतः प्रकरण राष्ट्रीय लोक अदालत में सारहीन होने के आधार पर खारिज कर निस्तारित किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तामील व तकमील दाखिल दफ्तर हो।

14/03/26

(मदनलाल नेहरा)
सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
राजस्व मण्डल, अजमेर

(राजेश कुमार दड़िया)
सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
राजस्व मण्डल, अजमेर